जन भावनाओं का स्वागत

प्रो. (डॉ.) सोहन राज तातेड़,

पूर्व कुलपति सिंघानिया विश्वविद्यालय, राजस्थान

जन भावना का अर्थ है लोगों के विचारों को सुनना और उसको सम्मान देना। जन भावना समूह का स्वर होता है। कभी–कभी हम जन भावना को न समझकर उस पर अपना विचार थोप देते हैं, किन्तु यह ठीक नहीं है। सभी की भावनाओं का आदर करना चाहिए। आदर देने से ही आदर की प्राप्ति होती है। जन भावना के सम्मान से स्वयं का मान बढ़ता है। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के सोच में बहुत अन्तर है। पहले लोगों की आवश्यकताएं कम थी। उस परिस्थिति में भी लोग अपना जीवन–यापन कर लेते थे। उस समय का समाज भी वैसा ही था, किन्तु आज बहुत परिवर्तन हो गया है। एक छोटा सा बच्चा भी अब तर्क करने लगा है। शिक्षा पद्धति में बहुत परिवर्तन हो गया है जिससे छोटे बच्चे की भी मानसिक स्थिति बढ़ गयी है। अपनी परिस्थितियों को आज के बच्चों के ऊपर थोपना ठीक नहीं है। यह बात बच्चों को अटपटी लगती है। बच्चों की बात को सुनीये, प्राचीनता और नवीनता का समन्वय करिये। बच्चों में आजकल देर से उठने की प्रवृत्ति हो रही है। बड़े, बूढ़े जब उनको सुबह उठने की सलाह देते हैं तो वह अनेक तर्क देता है। वह कहता है कि हम रात्रि में अपना गृहकार्य देर तक किये हैं इसलिए हम सुबह देर तक सोते है। मानव में वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति का क्रम है। जो एक बार किया जाता है वह वृत्ति है। बार–बार वही कार्य किया जाता है तो वह प्रवृत्ति बन जाता है। यदि लम्बे समय तक वही प्रक्रिया दोहरायी जाती है तो प्रकृति बन जाती है।

भारत में शासन की प्रजातन्त्रात्मक पद्धति है। प्रजातन्त्र में जन भावना का सम्मान सबसे पहली प्राथमिकता है। जन भावना को सुनने से अच्छी–अच्छी बाते सामने आती है। राजनीति जन भावनाओं का खेल है। संविधान में भी जन भावना को महत्व दिया गया है। प्रजातन्त्रात्मक सरकार जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। प्रजातन्त्र में सभी व्यक्तियों को राजनीतिक धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त है। इस प्रणाली में शासन प्रजातन्त्रात्मक

ढंग से होता है। सरकारों का चुनाव पांच वर्षों के लिए होता है। यदि सरकार पांच वर्ष में अच्छा कार्य नहीं करती तो जनता को उसे हटा देने का अधिकार होता है। इसलिए प्रजातन्त्र एक ऐसे तन्त्र का नाम है जिसमें शासन को महत्व प्रदान न करके व्यक्ति को महत्व प्रदान किया जाता है। इसके अन्तर्गत जनता का हित सर्वोपरि होता है। इसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार किया जाता है। इस प्रकार प्रजातन्त्र जनता को पूर्ण स्वतन्त्रता एवं आत्मगौरव प्रदान करने वाली शासन व्यवस्था है। प्रजातन्त्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें शासन के कार्यों में भाग लेने का अधिकार जनता में सन्निहित रहता है। इस प्रणाली में शासक और शासित के मध्य अटूट एवं बराबर का सम्बन्ध रहता है। प्रजातन्त्र अपनी सफलता के लिए जनता से आत्मानुशासन की अपेक्षा करता है। जब जनता में आत्मानुशासन का अभाव होता है तब शासन शक्ति के बल पर सेना एवं पुलिस द्वारा स्थापित करने का प्रयत्न करता है। प्रजातन्त्र संघर्ष और सहमति के मध्य एक रूपता स्थापित करता है व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी बात को मनवाने के लिए उचित एवं शान्तिपूर्ण साधनों को अपनायेगा और बहुमत के निर्णय को सहस्वीकार करेगा। भारत के सन्दर्भ में यह कहा जाना चाहिए कि उसके प्रजातन्त्र की शक्ति का रहस्य यह है कि इसमें बहुमत निर्णय को उच्चतम पदों पर स्थित जनप्रतिनिधियों ने स्वीकार करने में किसी प्रकार का आगा–पीछा नहीं किया है। जनतन्त्र की वास्तविक शक्ति मतपेटिका में निहित रहती है। प्रजातन्त्र में प्रगति की गति धीमी अवश्य रहती है परन्तु वह स्थायी एवं निश्चित रहती है। समाज भयमुक्त रहता है क्योंकि इस व्यवस्था के अन्तर्गत शासक के निरंकुश होने का प्रसन्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रजातन्त्र में शासक के परिवर्तन की और विकास की सम्भावनाएं सदैव विद्यमान रहती है।

सामूहिकता सबसे बड़ी शक्ति है– संघे शक्तिः कलियुगे अर्थात् कलयुग में संघ में शक्ति विराजती है। किसी कार्य को करने के लिए अगर दस हांथ एक साथ लग जायें तो वह कार्य जल्दी समाप्त हो जाता है। अकेला आदमी उसको दस दिन में पूरा करेगा। इसीलिए कहा गया है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। आज हम सभ्यता और संस्कृति में जितनी उन्नति देख रहे हैं और जिसके कारण हमारा जीवन सुख और शांति से व्यतीत हो रहा है

उसके निर्माण में समस्त समाज का हाथ रहा है। इसलिए हमको ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे समाज में एकता, प्रेम, सहयोग के भावों की वृद्धि हो और हम दिन–प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर हो सकें। सहयोग और मैत्री भाव यह दोनो शब्द लगभग एक ही अर्थ के सूचक हैं। हमारे मित्र ही हमारे सबसे बड़े सहयोगी हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है नेतृत्व शक्ति का विकास। यदि समाज के किसी व्यक्ति में अच्छी नेतृत्व शक्ति है तो वह समाज को एक साथ आगे लेकर बढ़ सकता है। हम देखते हैं कि एक छोटा सा तिनका कमजोर होता है, बलहीन होता है जिसे पानी आसानी से बहा ले जाता है, लेकिन जब ढेर सारे तिनके एकत्रित हो जाते हैं तो गट्ठर का रूप धारण कर लेते हैं। जिस देश में जन भावनाओं का स्वागत होता है और सरकार भी जन भावना की अवहेलना नहीं करती उस देश का द्रुत गति से विकास होता है। इसलिए उन्नति के लिए जन भावना और जन चेतना का स्वागत आवश्यक है।